फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
राम किशोर	बनाम	मोतीराम

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं.– 12/2017 PU

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15.2.2017	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामनारायण चौधरी ने उपस्थित होकर अप्रार्थीगणो के विरूद्ध अधीन धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 6.03.2017 को पेश हो।	
6.3.17	पक्षकारान उपस्थित प्रतिवादी सं. 01 की ओर से M.R. कड़ा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। प्रतिवादी सं. 02 का नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ बावजूद तामील और हाजिर। प्रति. सं. 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दि 29-3-17 को पेश हो।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
30/3/17	पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 21.4.17.....को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
21.4.17	पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 31.5.17....को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
18.9.17	पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 15.12.17को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
15/12/17	पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 15.01.18...को प्रस्तुत करें।	

Scanned by CamScanner

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
15.1.18
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रवास अवकाश पर ... है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12.3.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
12.3.18
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रवास अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6.6.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रवास अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक .... को प्रस्तुत करें।

06.6.18 पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र सांडिला में पेश हुई। अप्रार्थी सं. 01 को जवाब पेश करने हेतु काफी समय दिया जा चुका है उस के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है। न्याय हित में जवाब हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 11-6-18 को पेश हो।

महोदय खातेदारान स्वयं ख.नं.105 का कुड़ा बन्द करवाना चाहते हैं तो राजहित प्रभावित नहीं है

11.6.18 पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र देहरी में पेश हुई अप्रार्थी सं.02 तहसीलदार ने आदेशिका पर अंकन किया कि खातेदार ख. नं. 105 की कुड़ा बन्दी करवाते हैं तो राजहित प्रभावित नहीं होता है अप्रार्थी सं.01 को जवाब हेतु बार-2 अवसर दिये गये व निर्धारित कवाईद भी पूर्ण हो चुकि है उस के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है इसलिये इन का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया

Scanned by CamScanner

तारीख	रामकिशोर बनाम मोतीराम वगैरह पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश प्रार्थना पत्र सं. 12/2017 P.G.	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	प्रार्थी/प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 18=11 बीघा खाते की पश्चिमी मांड पर मुरब्बा बन्दी करवाना चाहते है। मुरब्बा बन्दी के आदेश जारी करने में राज्य सरकार को आपत्ति नही है तथा अप्रार्थी सं. 01 ने निर्धारित अवधि में जवाब पेश नहीं किया जिस के कारण इन का जवाब बंद किया जा चुका है। इसलिये इन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि मौजा ऊँचाड़िया के खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा के पश्चिमी मांड पर मेड़बन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

Scanned by CamScanner